

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †1078

जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

एलआईसी के कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति

†1078. श्री अमरा राम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के अस्थायी कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी स्थायी नियुक्ति नहीं दी जा रही है;
- (ख) क्या सरकार ऐसी नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है;
- (ग) यदि हां, तो ये नियुक्तियां कब तक किए जाने की संभावना है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): एलआईसी बनाम डी वी अनिल कुमार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.1.2011 के आदेशानुसार, एलआईसी ने 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक योजना तैयार की थी और इसके परिणामस्वरूप 4770 व्यक्तियों को नियमित पदों पर नियुक्त किया गया।

इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम, रणबीर सिंह बनाम एस के रॉय, अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य नामक वर्ष 2009 की सिविल अपील संख्या 6950 में वर्ष 2017 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 1921 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.04.2022 के आदेशानुसार कार्रवाई कर रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि पात्रता के सत्यापन का कार्य एक समिति के द्वारा किया जाए, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, एक पूर्व जिला न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (यूपीएचजेएस) का एक सदस्य शामिल हो। पात्रता की प्रारंभिक शर्तों को पूरा करने के सत्यापन के बाद विधिवत योग्य पाए जाने वाले श्रमिकों के दावों का निपटान सेवा में शामिल किए जाने के स्थान पर उन्हें मौद्रिक मुआवजा प्रदान करके और सभी दावों और मांगों का पूर्ण और अंतिम निपटान करके किया जाएगा।

दिनांक 27.4.2022 को गठित उपर्युक्त सत्यापन समिति वर्तमान में स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत दावों के सत्यापन का कार्य कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद निर्धारित समय के भीतर एलआईसी द्वारा मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

(ख) से (घ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
